PRESS COMMUNIQUE

TECHNICAL ADVISORY GROUP FOR UNIQUE PROJECTS (TAGUP)

Ministry of Finance, Department of Economic Affairs has constituted the Technical Advisory Group for Unique Projects (TAGUP) vide their O.M. dated 1st June 2010. The Terms of Reference of the Committee has also been laid down in the above O.M. This Committee has been constituted in pursuance of the Finance Minister's Budget Speech (2010-11). Finance Minister vide Para 104 of the Speech had *interalia* proposed to set up a Technology Advisory Group for Unique Projects under the Chairmanship of Shri Nandan Nilekani for an effective tax administration and financial governance system through creation of IT projects which are reliable, secure and efficient.

There are five projects of the Government in the recent years which have come to involve complex system development as listed below-

- The Tax Information Network (TIN)
- The New Pension Scheme (NPS)
- The National Treasury Management Agency (NTMA)
- The Expenditure Information Network (EIN)
- The Goods and Services Tax (GST)

Technical Advisory Group for Unique Projects has been constituted with the following Members-

1. Shri Nandan Nilekani-

(Chairperson)

- 2. Shri C.B. Bhave, Chairman SEBI
- 3. Shri R. Chandrasekhar, Secretary, Department of IT
- 4. Shri Dhirendra Swarup, Former Chairman PFRDA
- 5. Shri S.S. Khan, Former Member, CBDT
- 6. Shri P.R.V Ramanan, Former Member, CBEC
- 7. Dr. Nachiket Mor, President, ICICI Foundation for Inclusive Growth

TAGUP will address and make recommendations on the following issues-

- i. Human resource including modification in government rules, procedures etc;
- ii. Appropriate placement of tasks and allocation of responsibilities within Government;
- iii. Contracting, commercial terms and charges including procedures etc for competitive bidding, pricing models and suggestions on user charges;
- Road map from start up to going concern for each of these projects, which would also focus on legal/regulatory change, if any;
- v. Technology architecture and ways for co-ordination between Centre, States and Local Governments;
- vi. Possibility of introducing Open Protocols and utilization of open source components of other e-government projects;

- vii. Security challenges of malicious attacks on the system;
- viii. Accountability and self-corrective mechanisms; and
- ix. Protection of individual's right to privacy with focus on safeguards in the IT systems to protect legal and constitutional rights etc.

The detailed Terms of Reference of the TAGUP along with Procedure etc may be seen in the Ministry of Finance website at finmin.nic.in. The TAGUP has been given a timeframe of six months from the date of its constitution to make their recommendations.

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS **Dated the June 7, 2010.**

प्रेस विज्ञप्ति

यूनिक प्रोजेक्टस के लिए तकनीकी परामर्शी समूह (टीएजीयूपी)

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने 1 जून, 2010 के अपने एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा यूनिक प्रोजेक्ट्स के लिए तकनीकी परामर्शी समूह (टीएजीयूपी) का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषय भी उक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित हैं। यह समिति वित्त मंत्री के बजट भाषण (2010-11) की अनुपालना में गठित की गई है। वित्त मंत्री के भाषण के पैरा 104 में अन्य बातों के साथ-साथ श्री नंदन नीलकर्णी की अध्यक्षता में आईटी परियोजनाओं के निर्माण के जरिए एक प्रभावी कर प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण हेतु यूनिक प्रोजेक्ट्स के लिए जो विश्वस्त, सुरक्षित और कार्यक्षम हो, प्रौद्योगिकी परामर्शी समूह की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था।

हाल के वर्षों में सरकार की पांच परियोजनाएं हैं जो जटिल प्रणाली गतिविधि से संबद्ध हैं और जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

- कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन)
- नई पेंशन योजना (एनपीएस)
- राष्ट्रीय राजकोष प्रबंधन एजेंसी (एनटीएमए)
- व्यय सूचना नेटवर्क (ईआईएन)
- वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)

यूनिक प्रोजेक्टस के लिए तकनीकी परामर्शी समूह में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं।

1. श्री नंदन नीलकर्णी

(अध्यक्ष)

- 2. श्री सी. बी. भावे, अध्यक्ष सेबी
- 3. श्री आर. चन्द्रशेखर, सचिव, आईटी विभाग
- 4. श्री धीरेन्द्र स्वरूप, भू.पू. अध्यक्ष पीएफआरडीए
- 5. श्री एस. एस. खान, भू.पू. सदस्य, सीबीडीटी
- 6. श्री पी. आर. वी. रमण, भू.पू. सदस्य, सीबीईसी
- 7. डा. नचिकेत मोर, अध्यक्ष, आईसीआईसीआई फाउंडेशन फॉर इन्कलुसिव ग्रोथ

टीएजीयूपी निम्नलिखित मुद्दों का समाधान करेगा और सिफारिश देगा-

(i) सरकारी नियमों, प्रक्रियाओं आदि सहित मानव संसाधन;

- (ii) सरकार के अंतर्गत कार्यों का उचित नियोजन और दायित्वों का आवंटन;
- (iii) प्रयोक्ता प्रभारों के संबंध में प्रतिस्पर्द्धी बोली, मूल्य निर्धारण मॉडल और सुझावों से संबद्ध प्रक्रियाओं आदि सहित संविदा, वाणिज्य शर्तें और प्रभार,
- (iv) इन प्रत्येक परियोजनाओं के संबंध में इनके प्रारंभ से उठने वाली चिन्ता के समाधान हेतु रोडमैप जो विधिक/विनियामक परिवर्तन पर भी, यदि कोई हो, फोकस करेगा;
- (v) केन्द्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वयन हेतु प्रौद्योगिकी संरचना और साधन:
- (vi) ओपन प्रोटोकाल प्रारंभ करने की संभावना और अन्य ई-गर्वेमेंट प्रोजेक्टस के ओपन सोर्स कंपोनेंट्स का उपयोग,
- (vii) व्यवस्था में दुर्भावपूर्ण हमलों से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी चुनौतियां;
- (viii) जवाबदेही और स्व-सुधार तंत्र; और
- (ix) व्यक्ति की निजता के अधिकार की रक्षा करना जिसका जोर विधि और सांविधिक अधिकारों आदि की रक्षा हेतु आईटी प्रणालियों में रक्षोपाय पर होगा।

प्रक्रिया आदि के साथ टीएजीयूपी के विस्तृत विचारणीय विषय को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट <u>finmin.nic.in</u> में देखा जा सकता है। टीएजीयूपी को अपनी सिफारिश करने के लिए इसके गठन की तारीख से छह महीने की समयावधि दी गई है।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग दिनांक 7 जून, 2010